राजस्वप्रकरण संख्याः—93/2017

1. गोविन्द सिंह पुत्र नाथू सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. मु. सोहन कंवर बेवा नाथू सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. जसु पुत्री नाथू सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...............प्रार्थीगण

<u>बंनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां जिला भीलवाडा ....विपक्षीगण

उपस्थितः—
जगदीश चन्द्र धाकड़ अधिवक्ता वादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

दिनांक 16.01.2018

:—निर्णयः—

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरुद्व विपक्षीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राखोली पटवार हल्का चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी नं0 415/349 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा व आराजी नं0 348 रकबा 13 बिस्वा स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी न 415/349 में प्रचलित रास्ता विद्यमान है जिस पर ग्राम पंचायत चांदजी की खेडी द्वारा ग्रेवल सडक बना रखी है और रास्ते के किनारे पानी की पाईप लाईन निकल रही है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित कर मार्क ए से बी अंकित कर रखा है। उक्त नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है। उक्त रास्ते से होकर ही ग्राम राखोली के निवासीयान सदैव से आगमन कर रहे है किन्तु राजस्व अधिकारीयों एंव कर्मचारीयों ने भूल व गलतीवश से उक्त अनुसार रास्ता राजस्व नक्शे में फीट न कर गलत तौर आराजी नं0 348 जो भी प्रार्थी की खातेदारी की है, फीट कर दिया जबकि आराजी नं0 348 में मौके पर कभी कोई रास्ता विद्यमान नही रहा है एंव आराजी नं0 348 पर सदैव से प्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रही है। राजस्व नक्शे में रेकार्डेड रास्ता गलत तौर आराजी नं0 348 में फीट कर दिये जा... से प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है, जिससे राजस्व नक्शे... तरमीम करायी जाकर रेकार्डेड रास्ता आराजी नं0 348 से हटाकर आराजी... 415/349 में प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल स्याही में दर्शित ए... बी मार्क अनुसार फीट किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। प्रार्थीगण ने वि... से कई मर्तबा उपर वर्णित अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया किन्तु उन्होंने... तक कोई अनुतोष प्रदत नही किया, जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की नौ... उत्पन्न हुई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम कर... राखोली पटवार क्षेत्र चांदजी की खेडी में स्थित आराजी नं0 348 में फीट रिक... रास्ते को हटाकर आराजी नं0 415/349 में प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी... में लाल स्याही से दर्शित ए से बी मार्क से अंकित स्थान पर फीट कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलवी जरिये मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई गई।

16.01.18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

415 / 349 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा [illegible] राजस्व रिकार्ड है। मौका अनुसार
बिस्वा गै0मु0 रास्ता बिलानाम सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौका अनुसार
प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नं0 415 / 349 में से 0.16 बीघा भूमि में ग्रेवल सडक
बनी हुई है। आराजी नं0 348 में से 0.07 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है।
राजकीय भूमि पर चालू स्थाई रास्ता / निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई
सार्वजनिक रास्ता राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एंव 132 तथा
राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60(एच) 66 एंव 86 के
प्रावधानुसार किया जावेगा जिसमें संबंधित खातेदारी की खातेदारी में यदि स्थाई
रास्ता निकल रहा है तो खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक
से खसरा नं0 दिया जावेगा व रास्ता के रकबे सहित किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किया
जावेगा। राजकीय भूमि पर चालू रास्ता स्थाई को राजकीय खातेदारी में गै0मु0 रास्ता
के रुप में खसरा नं0 सहित दर्ज किया जावेगा। अतः उक्त प्रावधानुसार प्रार्थीगण का
रास्ता दर्ज किया जाना उचित है। ग्राम राखोली के आराजी नं0 415 / 349 एंव
खसरा नं0 348 में बारहमासी रास्ते है जो मौसम / ऋतुओं के अनुसार बदलते नही है
तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है ऐसे रास्ते राजस्व अभिलेख में अंकन नही
है। ऐसे रास्ते से संबंधि समस्याओ का निराकरण हेतु राजस्थान सरकार राजस्व
(ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.
2016 के अनुसार किया जाना के प्रावधानों का उल्लेख दिये गये अनुसार निजी
खातेदारी / सरकारी राजकीय भूमि में रास्ते का खसरा नं0 पृथक दिया जाकर नक्शे
में लाल स्याही से एंव जमाबंदी में रकबा गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाने का है। अतः
प्रार्थीगण का उक्तानुसार भू–राजस्व अभिलेख की धारा 131 एंव 132 तथा
भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60(एच) 66 एंव 86 के अनुसार
किया जाना उचित होगा।

तहसील कार्यालय बिजौलियां से मौका स्थिति बाबत रिपोर्ट तलब की गई।

रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम राखोली की आराजी नं0 415 / 349 रकबा
3.18 बीघा एंव 348 रकबा 0.13 बीघा भूमि मौका रिकार्ड अनुसार आराजी नं0
415 / 349 रकबा 3.18 बीघा भूमि प्रार्थीगण गोविन्द सिंह पिता नाथूसिंह राजपुत के
नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड एंव आराजी नं0 348 रकबा 0.13 बीघा भूमि गै0मु0 रास्ता
दर्ज रिकार्ड है। मौका अनुसार प्रार्थीयान की खातेदारी आराती नं0 415 / 349 में से
नजरी नक्शा में इंगित ए से बी क ग्रामीण ग्रेवल रोड बनी हुई है जो ग्राम राखोली में
आने जाने के काम आ रही है। जिसकी लम्बाई 4 जरीब व चौडाई गढ्ढा (264 गुणा
26) वर्ग फीट यानी कुल 0.16 बीघा भूमि में ग्रेवल सडक बनी हुई है। बनी सडक के
सहारे पानी की पाईप लाईन निकल रही है। आराजी न0 348 रकबा 0.13 बीघा भूमि
में से 0.07 बीघा भूमि पर प्रार्थीयान का कब्जा है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार
से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि ग्राम राखोली पटवार हल्का चांदजी की खेडी
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की
आराजी नं0 415 / 349 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा व आराजी नं0 348 रकबा 13 बिस्वा
स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी न 415 / 349 में से प्रचलित रास्ता
विद्यमान है जिस पर ग्राम पंचायत चांदजी की खेडी द्वारा ग्रेवल सडक बना रखी है
और रास्ते के किनारे पानी की पाईप लाईन निकल रही है। उक्त रास्ते को प्रार्थना
पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित कर मार्क ए से बी अंकित
कर रखा है। उक्त नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है। उक्त रास्ते से होकर
ही ग्राम राखोली के निवासीयान सदैव से आगमन कर रहे है किन्तु राजस्व

16.01.18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

नं0 415/349 में प्रार्थी ... से बी मार्क अनुसार फीट किया जाना न्यायोचित ... स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकील प्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया।

ग्राम राखोली पटवार क्षेत्र चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां में प्रार्थीगण के खातेदारी में आराजी खसरा नं0 415/349 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है एंव आराजी नं0 348 रकबा 13 बिस्वा गै0मु0 रास्ता बिलानाम सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौका अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नं0 415/349 में से 0.16 बीघा भूमि में ग्रेवल सडक़ बनी हुई है। आराजी नं0 348 में से 0.07 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्ज़ा है। राजकीय भूमि पर चालू स्थाई रास्ता/निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एंव 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60(एच) 66 एंव 86 के प्रावधान अनुसार किया जावेगा जिसमें संबंधित खातेदारी की खातेदारी में यदि स्थाई रास्ता निकल रहा है तो खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नं0 दिया जावेगा व रास्ता के रकबे सहित किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावेगा। राजकीय भूमि पर चालू रास्ता स्थाई को राजकीय खातेदारी में गै0मु0 रास्ता के रुप में खसरा नं0 सहित दर्ज किया जावेगा। अतः उक्त प्रावधान अनुसार प्रार्थीगण का रास्ता दर्ज किया जाना उचित है। ग्राम राखोली के आराजी नं0 415/349 एंव खसरा नं0 348 में बारहमासी रास्ते है जो मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नही है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है ऐसे रास्ते राजस्व अभिलेख में अंकन नही है। ऐसे रास्ते से संबंधि समस्याओ का निराकरण हेतु राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार निजी खातेदारी/सरकारी राजकीय भूमि में रास्ते का खसरा नं0 पृथक दिया जाकर नक्शे में लाल स्याही से एंव जमाबंदी में रकबा गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाने का प्रावधान है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर ग्राम राखोली में स्थित आराजी नं0 348 रकबा 13 बीस्वा में रिकार्डेड प्रचलित रास्ता यथावत चालू रहेगा व खसरा नं0 415/349 में से मौके पर चलता हुआ रास्ते को राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक .3(2)राज-6/2003/परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार दर्ज किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है उक्तानुसार पालना की जावे।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.01.18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया